



## बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लि०

खाद्य भवन, दारोगा राय पथ, आर०ब्लॉक रोड नं०-२, पटना-८००००१

पत्रांक-०२:१५:१७(अधि०)/२०१७- ७४६ दिनांक:- २०.०१.२०१८  
प्रेषक,

उप महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति),  
मुख्यालय पटना।

सेवा में,

जिला प्रबंधक,  
राज्य खाद्य निगम,  
रोहतास।

विषय:- धान अधिप्राप्ति वर्ष २०११-१२ एवं २०१२-१३ के प्रमादी मिलरों के द्वारा बकाया सी०एम०आर० के समतुल्य राशि जमा करने के उपरान्त उनसे धान अधिप्राप्ति वर्ष २०१७-१८ के अन्तर्गत मिलिंग कार्य करने हेतु मार्गदर्शन देने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका ज्ञापांक-२३ दिनांक-०९.११.२०१८

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि मुख्य सचिव, बिहार, पटना के पत्रांक-५७६५ दिनांक-१४.११.२०१७ से निर्गत खरीफ विपणन वर्ष २०१७-१८ अन्तर्गत अधिप्राप्त कार्य हेतु दिशानिदेश/मार्गदर्शन के कंडिका-४ में सन्निहित निदेश के आलोक में जिन प्रमादी मिलरों द्वारा अनापूरित सी०एम०आर० की राशि सी०एम०आर० जमा करने की अंतिम तिथि से भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित दर पर गणना की गई है, सभी देयता सहित निगम खाता में जमा कर दी गई है तथा निलामपत्र वाद का अंतिम रूप से निष्पादन हो गया है तो वैसी स्थिति में उनके साथ खरीफ विपणन वर्ष २०१७-१८ अन्तर्गत मिलिंग कार्य हेतु सम्बद्धता किए जाने के संदर्भ में अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजब

*Kumar*  
२०/१/१८  
उप महाप्रबंधक,(अधिप्राप्ति)।

ज्ञापांक:-०२:१५:१७(अधि०)/२०१७- ७४६ दिनांक, २०.०१.२०१८

प्रतिलिपि:-अन्य सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*Kumar*  
२०/१/१८  
उप महाप्रबंधक,(अधिप्राप्ति)।